

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

पत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प

- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ठा. वारडी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगर की अनुशया के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार गाम आंजगा तहसील रेलमगर जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 180 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.स.	गाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	अमल (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	आंजगा	180	रेशन पुत्र माधु शिल्प- $\frac{1}{9}$ जाति-भील M.A. 4. B शाखा, धनेरिया	रेशन पुत्र माधु शिल्प- $\frac{1}{9}$ जाति-भील R. 4. B शाखा, धनेरिया

रेलमगर
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

क्रमांक - 367
तारिख -

दिनांक - 16/10/25

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

रेलमगर
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर